यूरोपियन संघ के लिये प्रामाणिकता प्रमाण पत्र जारी करना

1. ई.सी विनियम के अनुसार घटे आयात कर के लाभ की संलग्नक – I के अनुसार अनुमति देने के लिये भारत सरकार ने ई आई सी/ ई आईए को, बासमती चावल के परेषण को भारत से ई.यू. देशों में भेजने के लिये प्रमाणिकता प्रमाण पत्र जारी करन के लिये निर्दिष्ट किया है।

2. प्रमाणिकता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नालिखित पैरामीटर को ई आई ए द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहियेः

   i) फसल उगाने का क्षेत्र

   ii) एफ ओ बी मूल्य

   iii) वस्तुओं का विवरणः जैसे बासमती चावल की श्रेणी

   IV) निर्यात हेतु प्रयुक्त चावल बासमती चावल है

   V) गुणवत्ता/पैकिंग

3. प्रमाणपत्र का जारी करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैः

   i) परेषण हेतु दस्तावेजों, जैसे बीजक शपथपत्र, निर्यातक द्वारा जारी किया निरीक्षण प्रमाणपत्र आदि , को जमा करना जिसके लिये निर्यातक को प्रमाणिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिये ई.आई.ए परेषणों के निरीक्षणों का सत्यापन करेगी कि ये, अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप बासमती चावल हैं।

   ii) निर्यातक, ''खेती के स्थान और क्षेत्र'' की सूचना बासमती चावल की उत्पत्ति की पुष्टि के लिये एक शपथपत्र द्वारा करेंगे।

   iii) ई.आई.ए, अपने द्वारा किये गए सत्यापन/निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर प्रमाणिकता प्रमाणपत्र को सत्यापित करेंगे।

   IV) प्रमाण पत्रों के विवरण में प्रमाण पत्र संख्या, जारी की तिथि, खरीददार का नाम, परेषण, मूल्य, मात्रा, कुल भार व शुद्ध भार, आदि का विवरण शामिल होगा।

   V) प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के बाद, निर्यातक को पहली व दूसरी प्रतिया कस्टम के द्वारा लदान के समय सत्यापित करने के लिये एवं इनकी प्रतियां उनके विदेशी खरीददारों को भेजने के लिये दी जाती है।

VI) ई.सी. की आवश्यकतानुसार, प्रमाणिकता प्रमाण पत्रों की वैधता 90 दिनों तक होती है।

VII) यदि निर्यातक चाहे तो, प्रमाणिकता प्रमाण पत्र संबंधित उप – कार्यालय की बजाय ई.आई.ए मुख्यालय से भी, जारी किया जा सकता है निर्यातक के समय की बचत एवं अच्छी सुविधाओं के लिये जारी किया जा सकता है बशर्ते कि वे अन्य सभी आवश्कताएं पूरी करते हों।

VIII) प्रमाणिकता के प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो जाने के मामले में और आयातक देश में बासमती चावल के पुनः वैधीकरण, सैम्पलिंग और परीक्षण के लिये प्रसंसाधक/ निर्यातक की ओर से अनुरोध आने पर प्रमाणिकता का नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिये योग्यता के आधार पर विचार किया जा रहा है। प्रमाणिकता प्रमाणपत्र का जारी किया जाना परीक्षण के परिणामों पर आधरित होगा। यद्यपि निर्यातक को नमूने लेने ओर जांच करने के लिये ई.आईए के अधिकारियों के दौरे की लागत वहन करनी होती है।

<table>
<tr><td>1. निर्यातक (नाम और पूरा पता)</td><td rowspan="2">प्रमाणिकता प्रमाण पत्र – बासमती चावल
फोरेक्स नं. 9566 दोहरी प्रति
द्वारा जारी (जारी करने वाले निकाय का नाम और पूरा पता)</td></tr>
<tr><td>2. परेषण (नाम और पूरा पता)</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>3. खेती का स्थान एवं क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>4. यूएस डालर में एफ ओ बी मूल्य</td></tr>
<tr><td>5. बीजक की संख्या एवं तिथि</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6. चिन्ह् और संख्याएं – पैकेज की संख्या एवं प्रकार – सामानों का विवरण</td><td>7. कुल भार (किग्रा)</td></tr>
<tr><td>8. शुद्ध भार (किग्रा)</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. निर्यातक द्वारा घोषणा
अधोहस्ताक्षरी यह घोषण करता है कि दिखाई गयी सूचनाएं सत्य है।

स्थान एवं तिथिः हस्ताक्षर</td></tr>
</table>

10. जारी करने वाले निकाय का प्रमाणन

यह एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण का चावल बासमती है और इस प्रमाण पत्र में दिखाई गई सूचनाएं सही है।

स्थान और तिथिः हस्ताक्षरः मुहरः

11. निर्यात करने वाले देश के सक्षम कस्टम कार्यालय का प्रमाणन

उपर्युक्त विवरण के बासमती चावल के यूरोपियन इकोनामिक कम्यूनिटी में निर्यात करने के लिये कस्टम की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है।

प्रकार संख्या एवं दस्तावेजों की तिथिः कस्टम कार्यालय का नाम एवं देशः

हस्ताक्षरः मुहरः

12. समुदाय में सक्षम अधिकारी